न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/88 **दायरा दिनांक : 12.07.2021**

उनवान

1 बिरधीलाल, आयु 45 वर्ष पुत्र श्री सुखदेव, जाति मीणा, निवासी जड़ावदिया, तहसील मॉगरोल, जिला बारां राज0
2 रूकमणीबाई, आयु 55 वर्ष पुत्री श्री सुखदेव पत्नि श्री चौथमल, जाति मीणा, निवासी जड़ावदिया हाल निवासी बामली, तहसील व जिला बारां
3. समुद्राबाई, आयु 50 वर्ष पुत्री श्री सुखदेव पत्नि हेमराज, जाति मीणा, निवासी जड़ावदिया, तहसील मांगरोल हाल निवासी बालून्दा, तहसील मांगरोल, जिला बारां
4. राजकमल, आयु 28 वर्ष पुत्र श्री रामप्रताप, जाति मीणा, निवासी जड़ावदिया, तहसील मॉगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1 मन्दिर श्री कल्याणरायजी बिराजमान देह पुजारी कन्हैयालाल, मदनलाल पिसरान जगन्नाथ, निवासीगण समसपुर, तहसील बारां जर्ये सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, लाडपुरा कोटा खण्ड, कोटा जिला कोटा
2 राज० सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 19.01.2024**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 160/2004 निर्णय दिनांक 22.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 29 रकबा 0.8 हेक्टयर, खसरा नं. 43 रकबा 0.72 हेक्टयर, किता 2 कुल रकबा 0.80 हेक्टयर ग्राम जड़ावदिया, तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। उक्त आराजी के पुराने खसरा नं. 38 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा था लेकिन उक्त आराजी में माईनर निकल जाने के कारण 0.80 हेक्टयर आराजी वर्तमान में शेष है जिस पर वादी का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 22.05.2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अपीलान्ट्स कम 1 ता 3 के पिता व अपीलान्ट् कम 4 के दादा मृतक श्री सुखदेव ने एक वाद विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राज० टी० एक्ट पेश कर निवेदन किया था कि अपीलान्ट्स के पर–दादा किशना का नाम जमाबन्दी सम्वत 2011–14 ग्राम जड़ावदिया में दर्ज हो रहा है तथा सम्वत 2011 से लगातार आराजी पर बदस्तूर कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए पुजारी मदनलाल, कन्हैयालाल के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में से हटाये जाकर उनके स्थान पर मन्दिर कल्याणरायजी के साथ वादी का नाम जोड़ा जावे। उक्त वाद के साथ अपीलान्ट्स ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज० टी० एक्ट पेश किया था जिसको न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 14.07.2006 को निर्णय पारित करते हुए यह आदेश दिया कि खसरा नंबर 29 रकबा 0.08 हेक्टेयर व खसरा नंबर 43 रकबा 0.72 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.80 हेक्टेयर

ग्राम जडावदिया, तहसील मॉगरोल के लिए बोली राशि 12500/– रूपये प्रतिवर्ष तहसील मॉगरोल में जमा करा दे तो वादी सुखदेव को आराजी पर काश्त करने दिया जावे। वादी आज तक निर्णय दिनांक 14.07.2006 की पालना में तहसील मांगरोल में सन् 2020 तक राशि जमा कराता चला आ रहा है। निर्णय की प्रति अपील के साथ पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में चली आ रही थी, साक्ष्य वादी इस वजह से नहीं हो पा रही थी कि देवस्थान विभाग (प्रतिवादी क्रम 1) के अधिवक्ता श्री भगवानलाल जी शर्मा का स्वर्गवास हो चुका था। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.05.2015 की आदेशिका में इस बात का संपूर्ण हवाला दे रखा है। दौराने वाद साक्ष्य वादी दिनांक 09.02.2017 को वादी सुखदेव की मृत्यु भी हो चुकी थी। वादी की मृत्यु हो गई, देवस्थान विभाग के अधिवक्ता की मृत्यु हो गई, वक्त निर्णय पक्षकारान उपस्थित नहीं थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व केम्प गांवो के संग अभियान के केम्प ग्राम पंचायत महलपुर में उक्त वाद का निर्णय कर एक तरफा कर दिया, जो कि निर्णय सिद्धान्तों के विरुद्ध है और इसे कभी भी न्याय की परिभाषा में नहीं कहा जा सकता। राजस्व केम्प अभियान गांव के संग में उन्हीं मुकदमों का निर्णय किया जाना था, जिनमें पक्षकार राजीनामा के लिए तैयार हो, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार को आकडा भिजवाने के लिए राजस्व केम्प गावों के संग आयोजित ग्राम पंचायत महलपुर, तहसील मॉगरोल में उक्त वाद का निर्णय दिनांक 22.05.2017 को कर दिया, जबकि 22.05.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार, अधिवक्ता उपस्थित ही नहीं थे। रेस्पो० क्रम 1 के अधिवक्ता श्री भगवानलाल जी शर्मा का निधन हो चुका था, इस बात का हवाला आदेशिका दिनांक 25.05.2015 में अंकित है। वादी दिनांक 09.02.2017 को स्वर्गवास हो चुका था, वकील महेन्द्रसिंह हाड़ा निर्णय के दिन केम्प नहीं गये थे इसके उपरान्त भी वादी की मृत्यु के पश्चात भी बिना कायम मुकाम बनाये वाद का निस्तारण कर दिया, जो कानून के विरूद्ध है, त्रुटिपूर्ण है तथा निर्णय दिनांक 22.05.2017 निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि खसरा नंबर 29 रकबा 0.08 हेक्टेयर व खसरा नंबर 43 रकबा 0.72 हेक्टेयर कुल 2 किता रकबा 0.80 हेक्टेयर ग्राम जडावदिया, तहसील मॉगरोल की आराजी का खातेदार बनना नहीं चाहता है सिर्फ मूर्ति मन्दिर श्री कल्याणरायजी के साथ अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड मे जुड़वाना चाहता है और निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है। निर्णय दिनांक 22.05.2017 के दिन वादी की मृत्यु दिनांक 9.02.2017 को हो चुकी थी, जिसका कोई कायम मुकामान नहीं बनाया गया, प्रतिवादी/रेस्पो० क्रम 1 के अधिवक्ता की मृत्यु हो चुकी है, कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होने के बावजूद भी निर्णय पारित कर दिया, जो कि त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है ऐसे निर्णय में RRD 2002 पेज 65 के परिपेक्ष्य में कोई मियाद लागू नहीं होती है। अपीलान्ट्स मृतक सुखदेव के विधिक है जिनको यह अपील पेश करने का कानूनी अधिकार आदेश 32 नियम 3 सी० पी० सी० के तहत प्राप्त है इसलिए मृतक के स्थान पर अपीलान्ट्स यह अपील पेश कर रहे हैं। अतः प्रार्थना है कि अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 22.05.2017 निरस्त फरमाया जावे और इस निर्देश के साथ अपील अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावे कि अपीलान्ट्स को मृतक सुखदेव का कायम मुकाम बनाया जाकर पुनः सुनवायी साक्ष्य का अवसर प्रदान करके पुनः निर्णय पारित फरमावे, अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो तो वह भी दिलायी जावे।

4 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 21.05.2021 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

5 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

6 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम् कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

7 बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी गई। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

8 अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी अपीलांट क्रम 1 ता 4 के पिता व अपीलांट कम 4 के दादा मृतक सुखदेव ने वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 ,89, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया था। उक्त वाद के साथ अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 14.07.2006 को निर्णय पारित करते हुए यह आदेश दिया कि वादग्रस्त आराजी के लिए बोली राशि 12500/– रूपये तहसील मांगरोल में जमा करा दे तो प्रार्थी काश्त कर सकता है। प्रार्थी आज तक दिनांक 14.07.2006 की पालना में तहसील मांगरोल में राशि जमा करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद की पत्रावली साक्ष्य वादी में थी, साक्ष्य वादी इस वजह से नहीं हो पा रही थी क्योंकि देवस्थान विभाग (प्रतिवादी कम 1) के अधिवक्ता का स्वर्गवास हो चुका था। इस तथ्य का उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.05.2015 में किया गया है। दौराने वाद साक्ष्य वादी दिनांक 09.02.2017 को वादी सुखदेव की मृत्यु हो गयी। देवस्थान विभाग के अधिवक्ता की मृत्यु हो गई, वक्त निर्णय पक्षकारान उपस्थित नहीं थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कैम्प गांवों के संग अभियान के कैम्प ग्राम पंचायत महलपुर में उक्त वाद का निर्णय कर दिया, जो विधि के सिद्धांतों के विरूद्ध है और इसे कभी भी न्याय की परिभाषा में नहीं कहा जा सकता। राजस्व कैम्प अभियान गांव के संग में उन्हीं मुकद्मों का निर्णय किया जा सकता है, जिसमें पक्षकार राजीनामे के लिए तैयार हो, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार, अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे। वादी की मृत्यु दिनांक 09.02.2017 को हो चुकी थी, वादी की मृत्यु के पश्चात भी बिना कायम मुकाम बनाये वाद का निस्तारण कर दिया, जो कानून के विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः निर्णय दिनांक 22.05.2017 निरस्त फरमाया जावे और पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जावे कि अपीलांट को मृतक सुखदेव का कायम मुकाम बनाया जाकर पुनः सुनवायी, साक्ष्य का अवसर प्रदान करके पुनः निर्णय पारित फरमावे।

9 बहस पर मनन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन उक्त वाद की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 23.11.2011 के अनुसार पत्रावली न्यायालय में पेश हुई। वकील फरीकेन उपस्थित। तनकीयात कायम की गयी । पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में दिनांक 22.12.2011 को पेश हो। इसके पश्चात पत्रावली लगातार दिनांक 18.05.2015 तक साक्ष्य वादी हेतु पेश होती रही। आदेशिका दिनांक 25.05.2015 के अनुसार देवस्थान विभाग के अधिवक्ता का स्वर्गवास हो जाने से देवस्थान विभाग को पत्र लिखा जाए। पत्रावली दिनांक 02.07.2015 को पेश हो। तत्पश्चात् पत्रावली निरन्तर न्यायालय में पेश होती रही। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 22.05.2017 के अनुसार पत्रावली कैम्प महलपुर में पेश हुई, प्रतिवादीगण उपस्थित। वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया गया, निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में वादी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के सन्दर्भ में कोई कथन अंकित नहीं है। पत्रावली पर प्रतिवादीगण की उपस्थिति के सन्दर्भ में हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है, इससे प्रथम दृष्टया अपीलांट के इस कथन की पुष्टि होना पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की अनुपस्थिति में ही राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं माना जा सकता क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल उन्हीं वादों का निस्तारण किया जा सकता है, जिनमें उपभयपक्ष उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष राजीनामा पेश कर राजीनामे के आधार पर वाद का निस्तारण करवाने हेतु सहमति व्यक्त करें। इसी प्रकार अपीलांट का यह कथन है कि दौराने वाद वादी सुखदेव की दिनांक 09.02.2017 को मृत्यु हो चुकी थी और उसके कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.05.2017 को राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत वादी सुखदेव के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि से दिनांक 09.02.2017 को वादी की मृत्यु होना स्पष्ट होता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लेने की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की

पत्रावली से नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई परन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2017 पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार चाहे सही ही क्यों ना हो परन्तु विधिसम्मत न्यायिक प्रकिया के अभाव में वैधानिक नहीं माना जा सकता।

8 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2017 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को इस दिशा निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को बाद जांच वादी के कायम मुकाम के रूप में रिकॉर्ड पर लेकर उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए पुनः नये सिरे से तनकीवार विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

9 निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/01/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा